न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार-I, (RAS)**

राजस्व वाद पत्र संख्या :– **122/2022 GCMS 2022/242**

वादीः–

1. गोपाल दत्तक पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम लिचाना तहसील कुचामन सिटी

प्रतिवादीः–

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी

दावा इस्तकरार हक, घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी की ओर।
राजपैराकार तहसीलदार कुचामन सिटी ।

–ःनिर्णय ः–

दिनांक :– 23/04/2025

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि ग्राम मांगलोदी तहसील कुचामन सिटी में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 192 रकबा 0.08 है. ख.नं. 193 रकबा 2.24 है. कुल रकबा 2.32 है. भूमि स्थित चली आ रही है। उपरोक्त भूमि में 1/4 हिस्सा भूमि पेमाराम पुत्र जोधाराम के नाम से खातेदारी दर्ज चली आ रही है, पेमाराम का स्वर्गवास दिनांक 01.12.1983 को हो गया व उनके कोई जाईन्दा औलाद नहीं थी उन्होंने अपने जीवनकाल में अपने ही भाइ के लड़के यानी मुझ वादी को दत्तक पुत्र मान लिया था बाद में उनकी पत्नी गुलाब देवी ने एक गोदनामा 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर लिखा पढ़ी कर समक्ष गवाहों को लिखा गया है। पेमारामजी ने अपने जीवनकाल में जाईन्दा औलाद नहीं होने से मुझ वादी को सामाजिक रिती रीवाज से पंच पटेलों के बीच में सामाजिक लोगों के समक्ष मांगलीक गीत गाकर गुड़ इत्यादि बांटकर मुझ गोदी पुत्र रख लिया तब से ही में यही रहता आ रहा हूं मेंरा लालन–पालन पेमारामजी व गुलाब देवी ने किया है। उपरोक्त भूमि के 1/4 हिस्से के काबिज खातेदार कृषक पेमाराम पुत्र जोधाराम जाति कुम्हार के स्थान पर उनके व उनकी पत्नी के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् जरिये उत्तराधिकारी जरिये दत्तक पुत्र के नाते उक्त भूमि में उनके स्थान पर मुझे खातेदारी दी जावें जिसका में अधिकारी हूं जरिये दत्तक पुत्र होने के न्याते। उपरोक्त भूमि के तत्कालीन काबिज खातेदार पेमाराम के स्थान पर मुझ वादी को काबिज खातेदार कृषक घोषित किया जावें जिसका मैं अधिकारी हूं। उपरोक्त भूमि में 1/4 हिस्से की खातेदारी वादी अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है इसलिए यह वाद पत्र खातेदारी की घोषणा का लाना लाजमी हुआ जिसका वादी हकदार है। मामला आवश्यक प्रकृति का होने से 02 माह इंतजार नहीं किया जा सकता इसलिए धारा 80(2)सीपीसी का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रार्थना पत्र 80(2)सीपीसी के छुट प्रदान की जाने की आज्ञा से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। ग्राम मांगलोदी तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नंबर 192 रकबा 0.08 है. ख.नं. 193 रकबा 2.24 है. कुल रकबा 2.32 है. में से 1/4 हिस्से के काबिज खातेदार कृषक पेमाराम पुत्र जोधाराम के स्थान पर मुझ वादी को काबिज खातेदार घोषित किया जावें इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 14:42:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

आशय की खातेदारी अधिकारों की घोषणा की डिक्री सादिर फरमाई जाने की इस्तदुआ दी है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मल तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 का सम्मन तामिल होकर प्राप्त। आवाजें लगाई गई। अनुपस्थित है। इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार कुचामन सिटी से रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल मिसल की गई। वकील वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में गोदनामा, नकल चालू खतौनी, ग्राम मांगलोदी के खसरा नंबर 192, 193 की नकल जमाबंदी संवत् 2075–78, पेमाराम के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, गुलाब के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, गोपालराम आधार कार्ड की प्रति, राशन कार्ड की प्रति, खतौनी नकल ग्राम लिचाणा मिठड़ी तहसील नावां 464, 465 संवत् 2058 से 2061, खतौनी ग्राम लिचाणा के खसरा नम्बर 178, 179, 185, 187, 188, 189, 463 संवत् 2058 से 2061, खतौनी नकल ग्राम लिचाणा तहसील नावां के खसरा नम्बर 464, 465 संवत् 2058 से 2061, खतौनी नकल ग्राम लिचाणा के खसरा नम्बर 178 संवत् 2058 से 2061 पेश की है। वकील वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य में गोपाल दत्तक पुत्र पेमारमा, भंवरलाल पुत्र तुलछाराम, नारायणराम पुत्र लादुराम के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये गये। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा नंर 192 व 193 कुल रकबा 2.32 है. में पेमाराम पुत्र जोधाराम हिस्सा 1/4 कुमावत सा. लिचाणा दर्ज है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को व राज पैरोकार ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि में पेमाराम पुत्र जोधाराम के स्थान पर गोपाल दत्तक पुत्र पेमाराम को काबिज खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया है। जिसकी पुष्टि उपलब्ध रेकॉर्ड व शपथ पत्र से होती है जिसके अनुसार नकल खतौनी सम्वत् 2058 से 2061 में जरिये नामान्तरकरण सं. 637 दिनांक 5.02.2006 गुलाब बेवा पेमाराम की जगह गोपाल दत्तक पुत्र पेमाराम एवं सम्वत् 2066 से 2069 में गोपाल दत्तक पुत्र पेमाराम 1/4 हि. कौम कुम्हार सा.देह खातेदार दर्ज होना बताया गया है। अतः वाद वादी काबिल खातेदारी अधिकारों की घोषणा की डिक्री योग्य पाया गया, जो निम्न प्रकार से अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है।

–: आदेश :–

वाद वादी खातेदारी अधिकारों की घोषणा की अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम मांगलोदी तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नंबर 192 रकबा 0.08 है. खसरा नंबर 193 रकबा 2.24 है. कुल रकबा 2.32 है. में से 1/4 हिस्सा के काबिज खातेदार कृषक पेमाराम पुत्र जोधाराम के स्थान पर गोपाल दत्तक पुत्र पेमाराम को काबिज खातेदार घोषित किया किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। अंतिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल रहे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार कुचामन सिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय दिनांक 23/04/2025 को सरेइजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 14:52:18 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार I R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

डिक्री मुकदमा इब्तेदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला–डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार-I, (RAS)**
राजस्व वाद पत्र संख्या :– **122/2022 GCMS 2022/242**

वादीः–

1. गोपाल दत्तक पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम लिचाना तहसील कुचामन सिटी

प्रतिवादीः–

2. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी

दावा इस्तकरार हक, घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता हाजिरी.............मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री ....मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी खातेदारी अधिकारों की घोषणा की अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम मांगलोदी तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नंबर 192 रकबा 0.08 है. खसरा नंबर 193 रकबा 2.24 है. कुल रकबा 2.32 है. में से 1/4 हिस्सा के काबिज खातेदार कृषक पेमाराम पुत्र जोधाराम के स्थान पर गोपाल दत्तक पुत्र पेमाराम को काबिज खातेदार घोषित किया किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। अंतिम डिकी पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार कुचामन सिटी को तहरीर जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद भारह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 23 माह 04 सन् 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

(मुहर)

दस्तखत...............................
ओहदा.......................................

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			[illegible] र्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प [illegible]		
स्टाम्प वजह सबूत			[illegible]		
महन्ताना वकिल			[illegible] वकिल		
खर्चा गवाहन			[illegible] वाहन		
फिस कमिश्नर			फि[illegible] कमिश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			ब[illegible] जराय हुक्मनामा		
मीजान			मुतफरिक		
			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 14:52:18 IST
Reason: SelfAttested